प्रेस विज्ञप्ति

19/02/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 16/02/2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मैसर्स सोम फाइटोफार्मा (इंडिया) लिमिटेड की सावधि जमा के रूप में 6.30 लाख रुपए की चल संपत्ति को अंनतिम रूप से जब्त कर लिया है।

ईडी ने संबंधित न्यायालय के समक्ष तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएसपीसीबी) द्वारा दायर शिकायत के आधार पर मैसर्स सोम फाइटोफार्मा (इंडिया) लिमिटेड के खिलाफ जांच शुरू की। शिकायत के अनुसार, मैसर्स एसओएम फाइटोफार्मा (इंडिया) लिमिटेड ने जैव-उर्वरक/जैव-कीटनाशकों के उत्पादन के दौरान उत्पन्न तरल अपशिष्टों के निपटान के लिए निर्धारित टीएसपीसीबी के अनिवार्य दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया और इस तरह जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1987 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध किया।

ईडी की जांच से पता चला कि मैसर्स सोम फाइटोफार्मा इंडिया लिमिटेड को कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में भेजने से पहले अपशिष्टों के उपचार के लिए प्री-ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करना था। हालाँकि, कंपनी ऐसा करने में विफल रही और अपेक्षित पूर्व-उपचार सुविधाओं के बिना अपना व्यवसाय चला रही थी, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा था और परिणामस्वरूप गंभीर जल और वायु प्रदूषण हो रहा था। जांच से पता चला कि उक्त अनुसूचित अपराध को अंजाम देकर कंपनी ने 6.30 लाख रुपए की अपराध आय अर्जित की। जांच के दौरान 6.30 लाख रुपए अंनतिम रूप से जब्त कर लिए गए हैं।

आगे की जांच जारी है.

*****